

(5)

Annexure VII

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
पत्तनम भवन, गीपाल-462004

क्रमांक एफ 73-55/2006/20-B,
प्रति,

गीपाल, दिनांक - 12-07-2006

शुभिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रौढ बिहार, नई दिल्ली ।

विषय:- अशासकीय संस्था- महर्षि विद्या मंदिर पूर्व माध्य. विद्यालय
डीकमण्डे
को सी. बी. एस. ई/आई. सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत ।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था- महर्षि विद्या मंदिर पूर्व
माध्यमिक विद्यालय, डीकमण्डे - - - - को सी. बी. एस. ई. /आई. सी.
एस. ई. , नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर
दिया जाता है:-


1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ
प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु
संस्था की कार्यकारिणी में म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के
प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये ।

2. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक
एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की प्रतिनिधियों के
बिच खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आचार्यकता
नुसार उपलब्ध करायेगे । इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा
जाये ।

3. इन संस्थाओं के अंशालन में अधिकारिता को प्राप्त होने
पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरंतर
चलने का अधिकार होगा ।


Anilpal


Anilpal
Maharishi Vidya Mandir
Noida (M.P.)

निरंतर, 2006


Manager
Maharishi Vidya Mandir Schools Group
B-6/1/B, Sector-36, Noida (U.P.)

Manager
Maharishi Vidya Mandir Schools Group
B-6/1/B, Sector-36, Noida (U.P.)

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समझ-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जाएगा ।
5. संस्था की प्रबंध कार्यकारी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सांघिक भूमिका प्रदान करेंगे ।
7. असाक्षीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का ओषण नहीं किया जाएगा ।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समझ-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस लाने तक भेजे के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं सड़क वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे पब्लिकरहित साधन जैसे धरेलू एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जाएगा ।

11. निःशक्त छात्रों के लिये, संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगी। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर गैर-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रह नहीं किया जाएगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

श. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 17/05/2003

प्रकाशन क्रमांक एफ 73-55/2003/20-3,
प्रतिनिधि:

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला टीकमगढ़, म. प्र.
3. प्राचार्य, अंतराष्ट्रीय शिक्षण संस्था महर्षि विद्या मंदिर-पूर्व माध्यम विद्यालय
टीकमगढ़
4. ...

की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधोक्षित।

Rajendra
Maharishi Vidya Mandir
Tikamgarh (M.P.)

[Signature]
श. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 17/05/2003

Principal
Maharishi Vidya Mandir
Tikamgarh (M.P.)

[Signature]
Principal
Maharishi Vidya Mandir
Tikamgarh (M.P.)

[Signature]
Principal
Maharishi Vidya Mandir
Tikamgarh (M.P.)